राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3820/2025

कमलेश कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन–सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर, राजस्थान।
3. जिला कलक्टर, बूंदी, राजस्थान।
4. रामरतन मीणा, तहसीलदार, हिण्डौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.08.2025
सुनवाई की दिनांक : 26.08.2025
आदेश की दिनांक : 01.09.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सईद सादत अली, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में प्रार्थी रामरतन मीणा की तरफ से विविध प्रार्थना पत्र सीपीसी आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत वर्तमान प्रकरण में रामरतन मीणा, तहसीलदार, हिण्डौली को पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की है कि उसका पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर किये जाने से वह आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस अपील में पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जावे और वर्तमान प्रकरण का निस्तारण किया जावे।
3. प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम द्वारा सीपीसी स्वीकार किया जाकर श्री रामरतन मीणा को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 संयोजित किया गया एवं संशोधित टाईटल पत्रावली पर रखा गया।
4. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार हिण्डौली, जिला बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.08.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसीलदार हिण्डौली जिला बूंदी से तहसीलदार पालदेवल जिला डूंगरपुर में रिक्त पद पर किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.10.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद से तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था एवं आदेश दिनांक 05.10.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन तहसीलदार (भू–अभिलेख), कलेक्ट्रेट बूंदी में किया गया था। तत्पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 03.10.2024 के आदेश द्वारा हिण्डौली में पदस्थापित किया गया है। ऐसे में आलौच्य आदेश मात्र 10 माह की अल्पावधि में जारी किया गया है, जो बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने की दृष्टि से जारी किया गया है। अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदेश के दौरान यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान हिण्डौली उसके निवास स्थान से मात्र 50 कि.मी. की दूरी पर है एवं अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में टोंक जिले में ही कार्यरत है। आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को 500 कि.मी. दूर पदस्थापित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यरत रखा जावे।

5. प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.08.2025 नियमानुसार है एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से स्थानांतरण प्रतिबंध में शिथिलता प्राप्त करने के पश्चात जारी किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश के द्वारा श्री रतनलाल मीना को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत करते हुए अपीलार्थी के स्थान पर तहसीलदार, हिण्डौली के पद पर पदस्थापित किया गया है एवं श्री रतनलाल मीना ने हिण्डौली में कार्यग्रहण भी कर लिया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्व विभाग में पदोन्नति के कारण किया गया है और नवनियुक्त तहसीलदारों को पदोन्नति पदों पर पदस्थापित करने के लिए पूर्व से पदस्थ तहसीलदारों का स्थानान्तरण आवश्यक है, इसलिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.10.2023 के द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद से तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था एवं आदेश दिनांक 05.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन तहसीलदार (भू–अभिलेख), कलेक्ट्रेट बूंदी में किया गया था। तत्पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 03.10.2024 के आदेश द्वारा हिण्डौली में पदस्थापित किया गया है। तहसीलदार के पद की वरिष्ठता राज्य स्तर पर संधारित होती है, जिस पर स्थानान्तरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी राजकीय कार्मिक किसी विशेष स्थान पर पदस्थापन का दावा नहीं कर सकता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह

प्रशासनिक एवं राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जावे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2323/2023 हिमेश भावसार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 16.03.2023 पारित कर यह माना है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थापित किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन एवं मनन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर आदेश दिनांक 03.10.2024 के द्वारा स्थानांतरित किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 के द्वारा नव पदोन्नत तहसीलदारों का पदस्थापन किये जाने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किया जाना प्रकट होता है। जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क की अपीलार्थी का स्थानान्तरण 1 वर्ष से पूर्व किया गया है, तो हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता में कार्मिक का स्थानान्तरण किसी भी समय किया जा सकता है। अतः इस आधार पर हम आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत परेशानियों का सवाल है तो अपीलार्थी इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य